

फर्द अहकाम

(नियम 26)





अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

कान्ता बनाम पवन कुमार आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 239/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
25.09.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>वकील प्रार्थीया की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 1 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा 2 टीकेएम तहसील नोहर के खाता स0 73/2 की कुल 5.9960 हैक्ट में से 7/12 हिस्सा भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उपरोक्त स्थगन रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थीया रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 04.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी नोहर </p> <p> पत्रावली पेश हुई श्रीमान्जरी पी.ओ. कार... अन्तर्गत मंजूर... पत्रावली दि० 1.7.11.25... को पेश हुई </p> <p> 17/11/25 - व्यवसाय करिवेन उपस्थित जवाब हेतु समय चाहा पत्रावली जवाब हेतु डि 18/3/25 को पेश हो। 3.2/25 - वकील सायल व निवेदन पर पत्रावली पेश हुई वकील सायल व निवेदन पर विद्या की उपपेशकारन वा मापस म राजीबामा हा राधा है इसलिये प्रार्थनापत्र खारिज करमावे सायल स्वयं व द्वारा प्रार्थना पत्र जही चलाम व वारण खारिज विद्या आता है पत्रावली दखिरा दफतर ही </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी नोहर </p>	<p>नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ</p> <p style="text-align: right;">  कान्ता पट्टनाकर पवन कुमार अधिवक्ता नोहर </p> <p style="text-align: center;">  </p>